

(3)

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998**  
**IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)**

Case No. 33/2018

Complaint or report madeon .....

Name and address of the Complainant.....

डा. अ. गुप्ता  
आयुक्त पुलिस, प्रथम नं० डा. अ. गुप्ता  
विभाग  
बल - गौड़  
जिला - भिंद

Name, parentage, caste and address of accused

बलवन्त 5/0 सुरेश सिंह भदौरिया  
डम - 35 नि० इलाहा  
घा० दु. हराम की कुर्िया

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 27/1/2018 मुकाम  
इलाहा पर ह्वीराम की कुर्िया पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने  
आधिपत्य में 02 लीटर/पाव/बोतल कच्ची शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।  
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

हस्ता.  
आयुक्त पुलिस प्रथम नं०  
हस्ता.

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

बलवन्त 5/0

हस्ता.  
आयुक्त पुलिस प्रथम नं०  
हस्ता.

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.



// निर्णय //

(आज दिनांक 21/2/2018 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500 शब्दों में पाँच सौ रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 02 लीटर/पाव/बोतल कच्ची शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देश पर पठित  
मायक नजिस्ट्रेट सिविल  
नं०